District Registry Office,Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं0 44

RTPS No.:-
030119351002100050

चूंकि श्री URMILA DEVI ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण पत्र [illegible] जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन मे वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारो के बारे में बही 1 में और उसी सम्बन्धित अनुक्रमणिका मे ता0 01/01/2006 से ता0 04/01/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	Gaya sadar	Chandauti 334	Kaler w.no 29	107n	1122n	11761 sq feet		0				
2	Gaya sadar	Chandauti	Kaler	107	1122	27 decimal	Agreement of agre	17255000	44	1	15	2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –Lalit Prasad
U D C

09.01.2021

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Rakesh Kumar Sinha
L D C

कार्यालय – **District Registry Office, Gaya** तारीख -- **09/01/2021**

9-01-2021

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
9.01.2021

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2 निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3 किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:– 117 दिनांक:– 09/01/2021

शाखा प्रबंधक CANARA BANK KADAM KUAN PATNA के पत्र दिनांक 21/12/2020 के आलोक में प्रेशित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

9.01.2021